बिहार सरकार
<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग</u>

का0आ0सं0 – वि० प्रा० (I) पार्ट–2 (स्था0)–09/2016/3437/पटना, दिनांक– 4.10.2019

आदेश

विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पदों के विरूद्व अनुबंध के आधार पर पूर्व से नियोजित निम्न व्याख्याताओं को नियमित नियुक्ति होने अथवा सेवा निवृति की आयु प्राप्त होने तक, जो पहले हो, तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

(I) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं–12534 दिनांक–17.09.2018 के निहित प्रावधानों के अधीन पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों की संविदा अवधि विस्तार किया जाता है।

(II) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण या सेवानिवृति की सामान्य आयु होने पर अथवा नियमित नियुक्ति होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

(III) संविदा पर नियोजित शिक्षको को भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(IV) निम्नांकित सभी संविदा व्याख्याताओं द्वारा अपने नियोजित संस्थान के प्राचार्य के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा निष्पादित किया जाएगा। एकरारनामा की तिथि से इसे इनका नया नियोजन माना जायेगा।

(V) संविदा नियोजित व्याख्याताओं की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्षो के अधीन होगी।

(VI) इन संविदा नियोजित व्याख्याताओं पर समय–समय पर निर्गत विभागीय निर्देश लागू होंगे।

(VII) संविदा पर नियोजित व्याख्याताओं को विभागीय आदेश संख्या– 3086 दिनांक–16.11.2018 द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

क्र०	संविदा व्याख्याता का नाम	पदनाम/संकाय	गृह जिला	नियोजित संस्थान का नाम
1.	डॉ० जफर आलम	व्याख्याता, अंग्रेजी	भागलपुर	राजकीय पोलिटेकनिक, खगड़िया
2.	श्री योगेन्द्र प्रसाद मंडल	व्याख्याता, यांत्रिकी	भागलपुर	राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर
3.	श्री वकील कुमार	व्याख्याता, यांत्रिकी	भागलपुर	राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई

4.10.19

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) पार्ट–2 (स्था0)–09 / 2016 / 3437 **/ पटना, दिनांक–** 4.10.2019

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

4.10.19

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) पार्ट–2 (स्था0)–09 / 2016 / 3437 **/ पटना, दिनांक–** 4.10.2019

प्रतिलिपि– सभी प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेनिक / राजकीय महिला पोलिटेनिक संस्थान / उप निदेशक (यो0) / विभाग के सभी पदाधिकारी / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी / सभी व्याख्याता (सूची में अंकित) / सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 प्रबंधक (अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.10.19

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।